

# भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल

(मा.सं.वि.मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित)

शैक्षणिक (कार्य) कार्यालय

IISERB/DOAA/2019/304

July 10, 2019

## परिपत्र

विषय: सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि की बाद शुल्क के भुगतान के संबंध में।

दिनांक 18 जुलाई 2018 को आयोजित एन आई टी एस ई आर (NITSER) परिषद की 11 वीं बैठक के निर्णयानुसार जो छात्र पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि में अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से तथा उसके बाद के शैक्षणिक सत्रों से उस समय के छात्रों द्वारा दिये जाने वाले शुल्क के बराबर अपने शुल्क का भुगतान करना होगा।

अधिष्ठाता, शैक्षणिक कार्य

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. निदेशक, आई आई एस ई आर भोपाल
2. कुलसचिव, आई आई एस ई आर भोपाल
3. सभी संकाय-सदस्यों को ईमेल के माध्यम से
4. सभी छात्रों को ईमेल के माध्यम से